

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-३, राज महल रेजीडेंसी एरिया, सिपिल लाइन काटक, जयपुर

www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

E-Mail- caodlb@gmail.com

Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.६(ट)(१८०)लेखा / एसएफसी/दिशा-निर्देश/डीएलबी/२०१५-२०/ १५३५६ दिनांक - २०-१२-१६

--:: परिपत्र ::--

**विषय:-** पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान हेतु मापदण्ड निर्धारण के संबंध में।

**प्रसंग:-** विभागीय समसाख्यक परिपत्र क्रमांक 14506-706 दिनांक 14.12.2015

पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वारा अन्तरिम रिपोर्ट वर्ष 2015-16 के लिये की गई सिफारिशों के अनुसार विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र आदेश में कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता के मापदण्डों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

क्र. सं.	मापदण्ड	निकाय द्वारा कार्यवाही
1	राजस्थान नगरपालिका लेखा मैन्युअल 2009 में विहितानुसार आय एवं व्यय को लेखा का संधारण	नगरीय निकायों ने एकूण वेस डबल एन्ट्री रिपोर्ट से तैयार अंकेक्षित अंतिम लेखों की प्रति प्रस्तुत करने हैं।
2	अभिलेखों का संधारण आसित राजस्ट्र राजस्ट्र सहित	राजस्थान नगरपालिका लेखा मैन्युअल के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्वाचित राजस्ट्रों एवं भण्डार पंजीयों के संधारण का प्रमाण पप्र प्रस्तुत करना होगा।
3	गत वर्ष 2014-15 की तुलना न कर 2015-16 में व्यय के राजस्व में 10% वृद्धि	इस हेतु निकायों द्वारा वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में निजी आय-व्यय (सरकार से प्राप्त अनुदानों को छोड़कर) में इड वृद्धि को दर्शाना है।
4	अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में समस्त पात्र व्यक्तियों के भामाशाह कार्ड का नामांकन और वितरण कार्य पूर्ण करने	निकाय क्षेत्र में वर्ष 2014-15 के भामाशाह कार्ड के नामांकन का लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शित करना है।

निष्पादन अनुदान राशि का वितरण केवल उन निकायों को स्वीकृत किया जावेगा, जो निकाय उक्त में से किसी एक मापदण्ड को पूर्ण करती हो। प्रोत्साहन राशि की गणना पात्र नगरीय निकायों की जनगणना 2011 एवं क्षेत्रफल के आधार पर की जावेगी। जैसा की आयोग की सिफारिश संख्या 27 में उल्लेख किया गया है। अवशेष राशि राज्य सरकार को समर्पित कर दी जावेगी।

पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु समर्त नगरीय निकायों को दिनांक 31.01.2017 तक अपना दावा आवश्यक रूप से निदेशालय में प्रस्तुत करना होगा।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.६(ट)(१८०)लेखा / एसएफसी/दिशा-निर्देश/डीएलबी/२०१५-२०/ १५३५६-९१ दिनांक - २०-१२-१६

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
02. निजी सचिव, अध्यक्ष पंचम राज्य वित्त आयोग, वित्त भवन राजस्थान जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज० जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज० जयपुर।
06. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज० जयपुर।
07. सदस्य सचिव, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रथम तल, बी ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
08. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
09. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), रथानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
11. समस्त आयुक्त/अधिकारी आयुक्ती अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
13. प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी  
(हुलास राय पवार)